II/निग०/सीधी/2018/01385

65

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

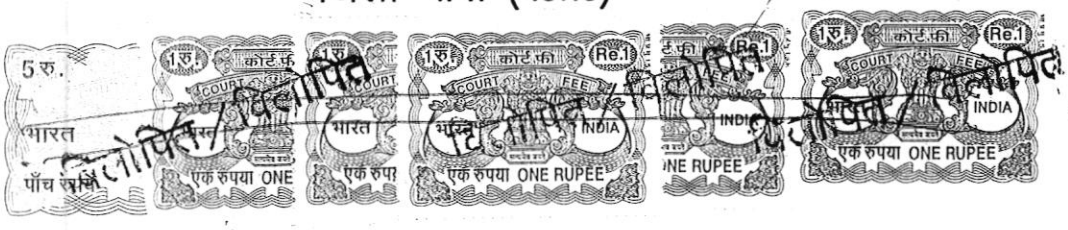

रामेश्वर प्रसाद तनय श्री रामभिलाष तिवारी उम्र–60 वर्ष, पेशा–कृषि, निवासी ग्राम–सहजी/सोनवर्षा, तहसील–सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0)

—————— आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1–योगेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पिता बिहारीलाल द्विवेदी उम्र–41 वर्ष

2–जयनाथ द्विवेदी पिता बिहारीलाल द्विवेदी उम्र–50 वर्ष

3–गजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पिता बिहारीलाल द्विवेदी उम्र–35 वर्ष

4–सुखेन्द्र द्विवेदी पिता बिहारीलाल द्विवेदी उम्र–38 वर्ष

5–जितेन्द्र द्विवेदी पिता बिहारीलाल द्विवेदी उम्र–33 वर्ष

सभी निवासी ग्राम–सहजी/सोनवर्षा, तहसील–सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0)

—————अनावेदक/गैरनिगराकर्तागण

अधि० श्री शैलेन्द्र द्विवेदी अग्निहोत्री द्वारा पेश। 26.2.18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय लिंक कोर्ट सतना (श्री बी. एस. कुलेश) के प्र0 क0 720/अपील / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी याचिका के संक्षिप्त तथ्य निम्न है:–

यह कि आराजी नं0 पुराना 1927 रकवा 0.76 ए0 एवं आराजी नं0 1822 रकवा 0.50 एकड जिसका नया नम्बर 2066/026 हे0 तथा

रामेश्वर प्रसाद

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सीधी/2018/भूरा/1385

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शेखर अग्निहोत्री उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 720/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 12.02.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.12.06 को भूमि नम्बर 1927/0.76 एवं 1822/0.50 एकड़ जिसका नया नम्बर 2066/026 है0 2005/020 है0 कुल रकवा 0.46 एकड का भूमिस्वामी घोषित किया गया। कलेक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की लेकिन उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कियां गया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा द्वारा आदेश दिनांक 12.2.18 से अपील निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में इन्हीं आराजियों के संबंध में व्यवहारवाद	

कमांक 228ए/09 में पारित आदेश 20.5.10 को आवेदक को भूमिस्वामी व स्वत्वधारी नहीं माना गया जिसकी अपील प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जिला सीधी के समक्ष अपील कमांक 89ए/2010 में पारित आदेश दिनांक 15.12.10 के आदेश के पैरा कमांक 13 में यह निष्कर्ष दिया है कि आवेदक विवादित भूमि में भूमिस्वामी व स्वत्वाधिकारी नहीं है। इसलिये व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों में बंधनकारी होता है। इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश दिनांक 12.2.18 स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 720/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 12.02.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य